उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-78/1388/एक-1-2016-1(39)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 11 नवम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, हाथरस के पत्र संख्या-1298/डी.एल.आर.सी./2016, दिनॉक 22.03.2016 में उल्लिखित है कि तहसील मुख्यालय एवं विकास खण्ड सादाबाद के किसी भी गॉव में ग्राम सभा की भूमि न उपलब्ध होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम बिसावर परगना व तहसील सादाबाद जनपद हाथरस स्थित राजस्व अभिलेखों में जूनियर हाई स्कूल बिसावर कृषि फार्म के नाम दर्ज गाटा संख्या 3064 रकबा 3.347 हे0 में से 1.214 हे0 भूमि, पक्की सड़क व आबादी के पास है तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु उपयुक्त है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस के पत्रांक-10152-55/2016-17, दिनॉक 16.09.2016 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण से जूनियर हाई स्कूल के शिक्षण व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. जिलाधिकारी, हाथरस के प्रस्ताव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस तथा बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की संस्तुति के आलोक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम बिसावर परगना व तहसील सादाबाद जनपद हाथरस स्थित बेसिक शिक्षा विभाग के प्रबन्धन में रखी गयी भूमि गाटा संख्या 3064 रकबा 3.347 हे0 में से 1.214 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में जूनियर हाईस्कूल बिसावर कृषि हेतु फार्म श्रेणी-1, ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा गॉव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा हो, खेती करता हो, का नि:शुल्क श्रेणी परिवर्तन किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) जूनियर हाईस्कूल बिसावर कृषि हेतु फार्म भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत केवल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सादाबाद, हाथरस के निर्माण हेतु किया जा रहा है।

(2) प्रश्नगत भूमि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे शीघ्रता से राजस्व विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

(3) ग्राम बिसावर परगना व तहसील सादाबाद जनपद हाथरस स्थित गाटा संख्या 3064 रकबा 3.347 हे0 जूनियर हाईस्कूल बिसावर कृषि हेतु फार्म के नाम दर्ज भूमि में से 1.214 हे0 भूमि दिये जाने से शिक्षण व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। अत: जूनियर हाई

shasnadesh.up.nic.in

-2-

स्कूल के संचालन हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के कारण विनिमय की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सादाबाद की स्थापना हेतु किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सादाबाद के निर्माण से जूनियर हाई स्कूल के संचालन, शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक परिवेश पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

(6) लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. कलेक्टर, हाथरस द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राजस्व अनुभाग-1/शिक्षा अनुभाग-5/व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, हाथरस द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1388(1)/एक-1-2016-1(39)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
5. कलेक्टर, हाथरस।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

shasnadesh.up.nic.in

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in